[भारत के राज-पत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या. 04/2021-एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 14 जून, 2021

सा. का. नि.......(अ.).- एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (1), (3) और (4), धारा 6 की उप धारा (1) और धारा 20 के खंड (iii), (iv) और (xxv) के साथ पठित केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 8/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

2. उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 3 में, कॉलम (3)में , मद (iv) में, उप मद (च) के पश्चात्, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा -:

“बशर्ते कि 14 जून, 2021 से प्रारम्भ होकर 30 सितम्बर, 2021 के समाप्त होने तक की अवधि में, उप मद (च) मे निर्दिष्ट सेवा विवरण पर एकीकृत कर, कॉलम (4) मे निर्दिष्ट दर के बावजूद , 5% की दर से लगेगा ।”

[फाइल संख्या सीबीआईसी-190354/63/2021-टीओ (टीआरयू-I)-सीबीईसी]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 08/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि.

683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 02/2021- एकीकृत कर (दर), दिनांक 2 जून, 2021, जिसे सा.का.नि. 378(अ), दिनांक 2 जून, 2021 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।